

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 603 of 2024

News Item titled ""Action is being taken against illegal mining, 9 tractor-trolleys including JCB have been seized" appearing in chandauli samachar.com dated 13.04.2024

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of the Superintendent of Police, Chandauli	
2.	Annexure 01 Copy of report of Circle Officer, PDDU Nagar dated 29.03.2026 along with Annexures	

Filed by



[MUKESH VERMA]
Advocate for Superintendent of Police, Chandauli
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098

E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 06.04.2026



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO -603/2024



IN THE MATTER OF:

News Item titled ""Action is being taken against illegal mining, 9 tractor-trolleys including JCB have been seized" appearing in chandauli samachar.com dated 13.04.2024

Order Date- 13.02.2026

Next Listing- 07.04.2026

REPLY ON BEHALF OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE,
CHANDAULI

I, Akash Patel, aged about 35 years, S/O Shri Babu Ram working as Superintendent of Police Chandauli, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the deponent is posted in above capacity as such he is fully conversant with the facts of the case as such is competent to swear this affidavit.
2. That this Hon'ble Tribunal on 13.02.2025 has passed the following order:

"15. The Director, Geology and Mining, U.P., the District Magistrate, Chandauli, Superintendent of Police, Chandauli and District Mining


Officer, Chandauli are also directed to file their responses within

one month. The above said respondents are directed to give

complete information in their responses with respect to the

following aspects:-


- i. Whether any FIR as registered in respect of respective incident of illegal transportation/ illegal mining of minor mineral;



- ii. Whether minor mineral illegally mined/transported was released to the violators;
- iii. Whether any confiscation proceedings have been initiated against vehicles involved in illegal transportation of minor mineral; and
- iv. Whether penalty was imposed and recovered from the registered owners of the vehicles as per directions given by this Tribunal vide order dated 21.06.2021 passed in O.A. No. 360/2015 titled as NGT Bar Association vs. Virender Singh (State of Gujarat) and Ors. In compliance with the above order passed, on receiving the report from the Circle Officer, Pauri Deo Nagar, District Chandauli, as per the details provided by him, the point wise reply are as follows-

REPLY

1. In reply to the para under reply it is submitted that no FIR was registered in respect of incident of illegal transportation/illegal mining of minor mineral.
2. In reply to this para under reply is submitted that on 10.04.2024, the Regional Lekhpal of village Bechupur, Shri Abhishek Srivastava, seized the tractor carrying illegal mining material along with trolley 01-Vehicle Number-UP 67 N 0467 Chassis Number D10683010, 02-Vehicle Number-UP 67 N5457 Chassis Number- D10683040, 03-Vehicle Number- UP 65 CA-2066 Nevis Number 5-104365108, 04 Vehicle Number UP 67 X-7756 Chassis Number- D-104926200 was filed at Police Station




[Handwritten Signature]

Mughalsarai in the diary report no. 60 at 17.58 hrs. In accordance with the order dated 24.01.2026 of Mines Inspector, Chandauli, a fine of Rs. 25,000 each has been collected by the mining officer from the vehicles released in favour of the vehicle owner/driver along with the minerals. Apart from this, on 10.04.2024 itself, Naib Tehsildar Shri Neeraj Chaudhari and Regional Lekhpal Sujit Kumar Yadav seized 03 tractors and 01 JCB 1. Power Track Chassis no. T053679866HM 2. Sonalika Tractor Chassis no. HZQSG747835SM 3. Power Track Tractor Chassis no. T053550541BK B and JCB No. HARXSSA02807131 were seized and lodged at Police Station Mughalsarai in GD No. 49 at 13.48 hrs on 10.04.24. The registered owner of the said vehicles obtained release order from the Hon'ble Court and presented it at the local police station, in compliance with which the vehicle was released and at Police Station Alinagar on 10.04.2024, Naib Tehsildar PDDDU Nagar filed report No. 56 at 19.40 hrs in the daily diary of the police station regarding 02 tractors with trolleys related to illegal mining. The registered owner of the said vehicles obtained release order from the Hon'ble Court and presented it at the local police station, in compliance with which the vehicle was released. The report of Circle Officer, PDDU Nagar dated 29.03.2026 along with annexures is being attached as Annexure-01.





- 3. In reply to the para under reply it is submitted that confiscation proceedings have been initiated against vehicles involved in illegal transportation of minor mineral by the Mining/Revenue Department.
- 4. In reply to para under reply it is submitted that action against vehicles transporting illegal mining material has been taken by the Mining Department. No recovery/confiscation action has been taken by the Police Department.
- 4. That the annexures are true and correct copies of their respective originals.
- 6. That the contents of the above response affidavit are true and correct and nothing is false and no material has been concealed therein.


Deponent

Verification:

Verified at _____ on this the ___ day of April, 2026, that the content of the above response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therein.


Deponent



On this _____ by Deponent before
me and counselled by Advocate
Mr.
.....
Girish Chandra Srivastava
Adv. Notary of U.P. Chandaull

**पुलिस अधीक्षक
जनपद चन्दौली।**

कृपया अपने पत्र संख्या रिट-अनु-1/26 दिनांक 14.03.26 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रधान पीठ (National Green Tribunal Bench New Delhi) के न्यायिक सलाहकार न्याय अनुभाग द्वारा जरिये ई-मेल प्रेषित पत्र अवैध खनन पर हो रही है कार्यवाही, जेसीबी समेत 09 ट्रैक्टर ट्राली किये गये है, सीज विषयक चन्दौली समाचार डाट काम दिनांकित 13.04.24 बनाम उ०प्र० पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य के मामले में पारित आदेश दिनांकित 13.02.26 के अनुपालन में निर्गत किये गये बिन्दुओं पर मा० न्यायाधिकरण में आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सर्किल के अन्तर्गत पडने वाले थाने मुगलसराय व अलीनगर से बिन्दुवार आख्या प्राप्त की गयी तदनुसार विवरण निम्नवत है-

बिन्दु संख्या-1 क्या लघु खनिज के अवैध परिवहन/अवैध खनन से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में कोई FIR दर्ज की गयी थी ?

आख्या- लघु खनिज के अवैध परिवहन/अवैध खनन से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में सर्किल के किसी थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

बिन्दु संख्या- 2 क्या अवैध रूप से खनन/परिवहन किये गये लघु खनिज को उल्लघनकर्ताओं को वापस कर दिया गया था ?

आख्या- दिनांक 10.04.24 को राजस्व विभाग के क्षेत्रीय लेखपाल बेचूपुर श्री अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 09.04.24 को ग्रामीणों से प्राप्त शिकायत के क्रम में अवैध खनन का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर मय ट्राली चेचिस न. 1 D-10683010 2. D10683040 3. D-104365108 4. D-104926200 पकडकर थाना मुगलसराय पर जी.डी. न. 60 समय 17.58 बजे पर दिनांक 10.04.24 को दाखिल कराये थे। पकडे गये उक्त ट्रैक्टरों के नम्बर वाहन संख्या 1. UP 67 N -0467 (टैक्टर मय ट्राली) 2. UP 67 N -5457(टैक्टर मय ट्राली) 3. UP 65 CA -2066(टैक्टर मय ट्राली) 4. UP 67 X- 7756 (टैक्टर मय ट्राली) को खान निरीक्षक चन्दौली के पत्र संख्या: 596/तीस-उपखनिज/अवैध परिवहन/2025-26 दिनांक 24.01.26 के पारित आदेश के क्रम में उपखनिज सहित वाहन स्वामी/चालक के पक्ष में अवमुक्त किये जाने के प्राप्त आदेश पर थाना मुगलसराय से उक्त 04 वाहनों को अवमुक्त किया गया है। उक्त चारों वाहनों से खान निरीक्षक द्वारा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना प्राप्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 10.04.24 को ही नायब तहसीलदार श्री नीरज चौधरी व क्षेत्रीय लेखपाल सुजीत कुमार यादव द्वारा 03 अदद ट्रैक्टर व 01 अदद जेसीबी 1. पावर ट्रेक ट्रैक्टर चेचिस न. T053679866HM 2. सोनालिका ट्रैक्टर चेचिस न. HZQSG747835SM 3. पावर ट्रेक ट्रैक्टर चेचिस न. T053550541BK B व जेसीबी न. HARXSSA02807131 पकडकर थाना मुगलसराय पर जीडी.न. 49 समय 13.48 बजे पर दिनांक 10.04.24 को दाखिल कराये थे। उक्त वाहनों के पंजीकृत स्वामी द्वारा मा० न्यायालय में जुर्माना धनराशि जमा किया गया था, जिसके उपरान्त मा० न्यायालय के प्राप्त आदेश एवं आदेश में पारित निर्देशों के अनुसार अनुपालन कर थाने से उक्त वाहन अवमुक्त किये गये थे।

थाना अलीनगर पर दिनांक 10.04.24 को नायब तहसीलदार पीडीडीयू नगर द्वारा अवैध मिट्टी खनन के परिवहन में 02 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली 1. ट्रैक्टर पावरट्रेक चेचिस न0 102085508 2. ट्रैक्टर पावरट्रेक चेचिस न. D-10678530 को पकडकर थाने के जी0डी0 न. 56 समय 19.40 दिनांक 10.04.24 को दाखिल कराये थे। उक्त वाहनों के पंजीकृत स्वामी द्वारा मा० न्यायालय में जुर्माना धनराशि जमा किया गया था, जिसके उपरान्त मा० न्यायालय के प्राप्त आदेश एवं आदेश में पारित निर्देशों के अनुसार अनुपालन कर थाने से उक्त वाहन अवमुक्त किये गये थे।

बिन्दु संख्या- 3 क्या लघु खनिज के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों के खिलाफ कोई जब्ती कार्यवाही शुरू की गयी है ?

आख्या- लघु खनिज के अवैध परिवहन में शामिल वाहनों के खिलाफ कोई जब्तीकरण की कार्यवाही सर्किल के किसी थाने से नहीं की गयी है।



बिन्दु संख्या-4 क्या इस न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 21.06.21 को O.A. NO- 360/15 में पारित आदेश के अनुसार वाहनों के पंजीकृत मालिको से जुर्माना लगाया गया था और वसूल किया गया था ?

आख्या- थाना मुगलसराय पर दिनांक 10.04.24 को अवैध खनन/परिवहन में पकड़े गये वाहन संख्या 1. UP 67 N -0467 (टैक्टर मय ट्राली) 2. UP 67 N -5457(टैक्टर मय ट्राली) 3. UP 65 CA -2066(टैक्टर मय ट्राली) 4. UP 67 X- 7756 (टैक्टर मय ट्राली) के पंजीकृत मालिको से खान निरीक्षक चन्दौली द्वारा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना धनराशि प्राप्त किया गया है। दिनांक 10.04.24 को ही नायब तहसीलदार श्री नीरज चौधरी व क्षेत्रीय लेखपाल सुजीत कुमार यादव द्वारा 03 अदद ट्रैक्टर व 01 अदद जेसीबी 1. पावर ट्रेक ट्रैक्टर चेचिस न. T053679866HM 2. सोनालिका ट्रैक्टर चेचिस न. HZQSG747835SM 3. पावर ट्रेक ट्रैक्टर चेचिस न. T053550541BK B व जेसीबी न. HARXSSA02807131 पकडकर थाना मुगलसराय पर जीडी.न. 49 समय 13.58 बजे पर दिनांक 10.04.24 को दाखिल कराये थे। उक्त वाहनों के पंजीकृत स्वामी द्वारा मा0 न्यायालय में जुर्माना धनराशि जमा किया गया था, जिसके उपरान्त मा0 न्यायालय के प्राप्त आदेश एवं आदेश में पारित निर्देशो के अनुसार अनुपालन कर थाने से उक्त वाहन अवमुक्त किये गये थे।

थाना अलीनगर पर दिनांक 10.04.24 को नायब तहसीलदार पीडीडीयू नगर द्वारा अवैध मिट्टी खनन के परिवहन में 02 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली 1. ट्रैक्टर पावरट्रेक चेचिस न0 102085508 2. ट्रैक्टर पावरट्रेक चेचिस न. D-10678530 को पकडकर थाने के जी0डी0 न. 56 समय 19.40 दिनांक 10.04.24 को दाखिल कराये थे। उक्त वाहनों के पंजीकृत स्वामी द्वारा मा0 न्यायालय में जुर्माना धनराशि जमा किया गया था, जिसके उपरान्त मा0 न्यायालय के प्राप्त आदेश एवं आदेश में पारित निर्देशो के अनुसार अनुपालन कर थाने से उक्त वाहन अवमुक्त किये गये थे।

बिन्दुवार आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सलग्नक: उपरोक्तानुसार

पत्र संख्या: सीओपीडीडीयू-रिट आख्या/26

दिनांक: मार्च 29 2026

(अरुण कुमार सिंह)

क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर
जनपद चन्दौली।



(Handwritten signature)

689

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मुगल सराय

District/Unit (जिला/इकाई): चंदौली

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 060

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 10/04/2024 17:58 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): अन्य

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): SHO MUGHALSARAI

5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़

6. Subject (विषय):

7. G.D. Brief

आमद लेखपाल व दाखिला एक किता प्रार्थना पत्र व 04 अदद ट्रेक्टर मय टाली लेखपाल अभियेक श्रीवास्तव क्षेत्रीय हल्का वेयूपुर उपस्थित याना आफर एक किता प्रार्थना पत्र हिन्दी लिखित व दस्ताखती अंग्रेजी अपठनीय दिनांक 09.04.2024 मय चार अदद ट्रेक्टर मय टाली क्रमशः चेचिस न0-1. D-10683010 2.D10683040 3.D-104365108 4.D-104926200 के उपस्थित आये उपरोक्त ट्रेक्टर को याना परिसर में खड़ा कराया गया। संतरी पहरा को दिखाया गया। विवरण प्रार्थना पत्र निम्नवत है।- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मुगलसराय दिनांक 09.04.2024 को ग्रामीणो से प्राप्त शिकायत के आधार पर तहसील प0दीन0दया0उपा0नगर के अन्तर्गत कोतवाली मुगलसराय याना क्षेत्रागत अदद खनन का परिवहन कर रहे 04 ट्रेक्टर को पकड़ा जिनका विवरण निम्न प्रकार है। ट्रेक्टर चेचिस न0-1.D-10683010 2.D10683040 3.D-104365108 4.D-104926200 उपरोक्त वाहनो को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय के अग्रिम आदेश तक आपको सुपुर्द किया जाता है। हस्ताक्षर अपठनीय दिनांक 09.04.2024 प्रतिलिपि अपल जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय चन्दौली 2. उपजिलाधिकारी तह प0दीन दयाल उपा0 नगर 3. खनन निरीक्षक चन्दौली को इस निर्देश के साथ प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करे। उक्त के सम्बन्धित उद्याधिकारीगण को अवगत कराया गया। मूल प्रार्थना पत्र मय दाखिल रपट हे0मो0 विजय राय को दी जा रही है।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 30/09/2025

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): SHO MUGHALSARAI


Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): SHIV SANKAR SINGH

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(सं.): 840896870



कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

संख्या: 595 / तीस-उपखनिज / अवैध परिवहन / 2025-26

दिनांक 24 / 01 / 2026

प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष,
मुगलसराय,
जनपद-चन्दौली।

वाहन संख्या-UP 67 N 0467 को प्रवर्तन कार्य के दौरान दिनांक 10-04-2024 को उपखनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर चालान कर आपकी अभिरक्षा में दिया गया था। जिसके क्रम में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 09-01-2026 को उपरोक्त वाहन पर आरोपित धनराशि रू0-25000 / - चालान संख्या-AKV260001704 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि वाहन संख्या-UP 67 N 0467 किसी अन्य अपराध/वाद में वांछित न हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन को मय उपखनिज सहित वाहन स्वामी/चालक के पक्ष में अवमुक्त करने का कष्ट करें।



Eddharth
24/01/26
खान निरीक्षक,
चन्दौली।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-वाहन स्वामी/वाहन चालक।

खान निरीक्षक,
चन्दौली।

th
19/01/26
आ. नं. 595

SAEM
5/11/26
24/11/26

[Signature]



कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

संख्या: 594 / तीस-उपखनिज / अवैध परिवहन / 2025-26

दिनांक: 24 / 01 / 2026

प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष,
मुगलसराय,
जनपद-चन्दौली।

वाहन संख्या-UP 67 X 5457 को प्रवर्तन कार्य के दौरान दिनांक 10-04-2024 को उपखनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर चालान कर आपकी अभिरक्षा में दिया गया था। जिसके क्रम में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 09-01-2026 को उपरोक्त वाहन पर आरोपित धनराशि रू0-25000 / -चालान संख्या-AKV260001691 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि वाहन संख्या-UP 67 X 5457 किसी अन्य अपराध/वाद में वांछित न हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन को मय उपखनिज सहित वाहन स्वामी/चालक के पक्ष में अवमुक्त करने का कष्ट करें।



Siddharth
24/01/26
खान निरीक्षक,
चन्दौली।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि:-वाहन स्वामी/वाहन चालक।

खान निरीक्षक,
चन्दौली।

for
प्रमुख मंत्र
मंत्र

24/1/26

[Signature]



AL
कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

692

संख्या: 597/ तीस-उपखनिज/अवैध परिवहन/2025-26

दिनांक: 24/01/2026


प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष,
मुगलसराय,
जनपद-चन्दौली।

वाहन संख्या-UP 65 CA 2066 को प्रवर्तन कार्य के दौरान दिनांक 10-04-2024 को उपखनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर चालान कर आपकी अभिरक्षा में दिया गया था। जिसके क्रम में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 09-01-2026 को उपरोक्त वाहन पर आरोपित धनराशि रू0-25000/- चालान संख्या-AKV260001700 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि वाहन संख्या-UP 65 CA 2066 किसी अन्य अपराध/वाद में वांछित न हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन को मय उपखनिज सहित वाहन स्वामी/चालक के पक्ष में अवमुक्त करने का कष्ट करें।

खान निरीक्षक,
चन्दौली।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि:-वाहन स्वामी/वाहन चालक।



Siddharth
24/01/26
खान निरीक्षक,
चन्दौली।

thw
नियमानुसार वाहन
अवमुक्त करें।

24/1/25

[Handwritten signature]



कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
(खनिज अनुभाग)

संख्या: 596 / तीस-उपखनिज / अवैध परिवहन / 2025-26

दिनांक: 24/01/2026

प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष,
मुगलसराय,
जनपद-चन्दौली।

वाहन संख्या-UP 67 X 7756 को प्रवर्तन कार्य के दौरान दिनांक 10-04-2024 को उपखनिज का अवैध परिवहन करते हुए पाये जाने पर चालान कर आपकी अभिरक्षा में दिया गया था। जिसके क्रम में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 09-01-2026 को उपरोक्त वाहन पर आरोपित धनराशि रू0-25000 / -चालान संख्या-AKV260001743 के माध्यम से राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि वाहन संख्या-UP 67 X 7756 किसी अन्य अपराध/वाद में वांछित न हो तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वाहन को मय उपखनिज सहित वाहन स्वामी/चालक के पक्ष में अवमुक्त करने का कष्ट करें।



Eidharath
24/01/26
खान निरीक्षक,
चन्दौली।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि:-वाहन स्वामी/वाहन चालक।

खान निरीक्षक,
चन्दौली।

Ami-2026
मय

24/1/26

[Signature]



State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): मुगल सराय

District/Unit (जिला/इकाई): चंदौली

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 049
2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 10/04/2024 13:48 बजे
3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): आगमन/वापसी
4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): अवर निरीक्षक
5. Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ़
6. Subject (विषय):
वापसी उ0नि0
7. G.D. Brief


वापसी उ0नि0 उ0नि0 वीरन्द कुमार खाना शुदा रोजनामचा आम तारीखी दीरोजा से बाद देखभाल क्षेत्र जाँच प्रार्थना पत्र एवं पेडिंग विवेचना से वापस आया । विवरण कार्य सरकार इस प्रकार है मैं उ0नि0 थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करता हुआ पेडिंग विवेचना किया गया तत्पश्चात सूचना पर कुण्डा खुर्द आया जहाँ नायब तहसीलदार श्री नीरज चौधरी व क्षेत्रीय लेखपाल सुजीत कुमार यादव मौजूद मिले जो प्रभारी निरीक्षक महोदय के नाम से संबोधित एक किता प्रार्थना पत्र सुरक्षार्थ की दृष्टिगत 03 अदद ट्रैक्टर एक अदद जेसीवी क्रमशः 1.पावर ट्रैक चेचिस न0-T053679866HM 2. सोनालिका- चेचिस न0-HZQSG747835SM 3. पाकर ट्रैक चेचिस न0-T053550541BK व जेसीवी - HAR3DXSSA02807131 दिये जिसके अनुपालन में उक्त वाहन को सुरक्षार्थ की दृष्टि से चौकी शिवाला पर निगरानी की देख-रेख में खड़ा कराया गया । अन्य विधिक नायब तहसीलदार महोदय के आदेश के अनुपालन में की जायेगी ।

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
----------------	----------------	---------------------

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 06/01/2026
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): SHO MUGHALSARAI
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): SHO MUGHALSARAI
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454403187



दिनांक 31.08.2024

आदेश

खान अधिकारी चन्दौली के द्वारा अभियुक्त लालमन के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के अन्तर्गत परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया है।

वाद का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा चुका है। अतः प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय को निर्देशित किया जाता है कि धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के तहत निरुद्ध वाहन संख्या-UP 67 AT 3483 (जे.सी.वी.) यदि किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो तो, उसके वैध प्रपत्रों के आधार पर मूल आर.सी. से इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर मिलान करने के बाद उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें।

न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् ही इस आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को वाहन अवमुक्त किये जाने हेतु प्रेषित हो।

S/O - मुगलसराय
ऑफिस का अनुपालन
कृपया सुनिश्चित करें

(दीपक कुमार मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।
ID NO-UP02054

Bec

Signature

31/8/24



Signature



दिनांक 04.10.2024

आदेश

खान अधिकारी चन्दौली के द्वारा अभियुक्त अनिल यादव के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के अन्तर्गत परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया है।

वाद का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा चुका है। अतः प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय को निर्देशित किया जाता है कि धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के तहत निरुद्ध वाहन चेचिस संख्या-T053679866MH (ट्रैक्टर नय टाली) यदि किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो तो, उसके वैध प्रपत्रों के आधार पर मूल कागजात से इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर मिलान करने के बाद उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें।

न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् ही इस आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को वाहन अवमुक्त किये जाने हेतु प्रेषित हो।


SHO - मुगलसराय
अधिकारी का अनुपालन
आगत बुकिंग
कर

(दीपक कुमार मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।
ID NO-UP02054



HM
नियमानुसार झा
कार्रवाई करें

SHO
04/10/24



[Handwritten signature]

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली।
रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या-15405/2024
सरकार बनाम श्रीमती मन्ती देवी
दिनांक 04.10.2024

आदेश

खान अधिकारी चन्दौली के द्वारा अभियुक्त श्रीमती मन्ती देवी के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के अन्तर्गत परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया है।

वाद का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा चुका है। अतः प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय को निर्देशित किया जाता है कि धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के तहत निरुद्ध वाहन संख्या-UP 63 AF 9535 (ट्रैक्टर मय ट्राली) यदि किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो तो, उसके वैध प्रपत्रों के आधार पर मूल आर.सी. से इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर मिलान करने के बाद उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें।

न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् ही इस आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को वाहन अवमुक्त किये जाने हेतु प्रेषित हो।

SHO-मुगलसराय
आदेश का अनुपालन
कानून प्रवर्धक

(दीपक कुमार मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।

ID NO-UP02054

HM
निम्नानुसार को
कगमवादी करें



न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली।
रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या-12767/2024
सरकार बनाम सन्तरा देवी

दिनांक 04.10.2024

आदेश

खान अधिकारी चन्दौली के द्वारा अभियुक्ता सन्तरा देवी के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के अन्तर्गत परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया है।

वाद का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा चुका है। अतः प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय को निर्देशित किया जाता है कि धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के तहत निरुद्ध वाहन संख्या-UP 67 AF 2025 (ट्रैक्टर मय ट्राली) यदि किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो तो, उसके वैध प्रपत्रों के आधार पर मूल आर.सी. से इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर मिलान करने के बाद उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें।

न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् ही, इस आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को वाहन अवमुक्त किये जाने हेतु प्रेषित हो।



HM

नियमानुसार आ०
कामवाही करें

SHO

SHO - मुगलसराय
आदेशानुसार उपस्थित
न्यायालय चन्दौली

04/10/2024

04/10/2024



(दीपक कुमार मिश्र)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।
ID NO-UP02054

04/10/2024

General Diary Details
सामान्य दैनिकी विवरण

- State (राज्य): उत्तर प्रदेश
P.S. (थाना): अली नगर
District/Unit (जिला/इकाई): चंदौली
- G.D. No. (रोजनामचा सं.): 056
 - G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 10/04/2024 19:40 बजे
 - G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): अन्य तस्करा दाखिला 02 अदद ट्रैक्टर
 - Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): VINOD KUMAR PANDEY
 - Case Type (प्रकरण के प्रकार): प्रौढ
 - Subject (विषय): तस्करा दाखिला 02 अदद ट्रैक्टर मय टूली
 - G.D. Brief :
तारीखी इमरोजा में नायाब तहसीलदार पीडीडीयूनगर चंदौली थाना कार्यालय उपस्थित आकर एक किता रिपोर्ट बावत खननरोधी अभियान के तहत अवैध मिट्टी खनन का परिवहन कर रहे जवत्तशुदा 02 ट्रैक्टर मय टूली में लदी हुई मिट्टी के थाना हाजा उपस्थित आए 1. ट्रैक्टर पावरट्रैक चेचिस न0-102085508 व 2. ट्रैक्टर पावरट्रैक चेचिस न0- D10678530 को सुपुर्दागी में लेकर थाना परिसर में खड़ा कराकर संतरी पहरा को दिखाया गया। हस्वादेश प्रभारी निरीक्षक महोदय तस्करा अंकित किया गया। इस आशय का एक किता रिपोर्ट नायाब तहसीलदार द्वारा दाखिल की गयी।
 - Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 29/03/2026
Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):
Name (नाम): SHO ALINAGAR
Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):
Name (नाम): SHO ALINAGAR
Rank (पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454403178



(Handwritten Signature)

General Diary Details
सागान्य दैनिकी विवरण

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): अली नगर

District/Unit (जिला/इकाई): चंदौली

1. G.D. No. (रोजनामचा सं.): 068

2. G.D. Date (रोजनामचा दिनांक): 22/07/2024 20:32 बजे

3. G.D. Type (रोजनामचा प्रकार): अन्य तस्करा अवमुक्त वाहन ट्रैक्टर

4. Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)): RAMAKANTPASWAN

5. Case Type (पकरण के प्रकार): प्रोट

6. Subject (विषय):

तस्करा अवमुक्त वाहन ट्रैक्टर

7. G.D. Brief

इस तमय राकेश कुमार पुत्र प्यारे लाल नि0 बरहली थाना अलीनगर चन्दौली मो0नं0 9118493620 उपस्थित थाना आकर वाहन संख्या यूपी67 एएफ 6264 ट्रैक्टर मय रेपर अपने पक्ष में लेने की इच्छा प्रकट किया कि जो खनन विभाग द्वारा सीज कर थाना अलीनगर पर खडी करायी गई है। डाक द्वारा प्राप्त रितीज आदेश माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त है जिसपर आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक महोदय के आदेश पर उपरोक्त आगतुक के आधार कार्ड व आरसी का मिलान कर सही पाये जाने पर वाहन को सुपुर्दगी में देकर थाना हाजा से रुखस्त किया गया। तस्करा अवमुक्त वाहन अंकित किया गया

8. Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):

S.No.(क्र.सं.) Acts (अधिनियम)

Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 29/03/2026

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): SHO ALINAGAR


Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): SHO ALINAGAR

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 9454403178



न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली।

रिलीज प्रार्थना पत्र संख्या-12546/2024

सरकार बनाम राकेश

दिनांक 22.07.2024

आदेश

खान अधिकारी चन्दौली के द्वारा अभियुक्त राकेश के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के अन्तर्गत परिवाद न्यायालय में दाखिल किया गया है।

वाद का निस्तारण जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जा चुका है। अतः प्रभारी निरीक्षक अलीनगर को निर्देशित किया जाता है कि धारा 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 यथा संशोधित 2015 एवं धारा 30 प्रो उप खनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3/58/72 के तहत निरुद्ध-वाहन संख्या-UP 67 AF 6264 (ट्रैक्टर मय रेपर) यदि किसी अन्य मामले में निरुद्ध न हो तो, उसके वैध प्रपत्रों के आधार पर मूल आर.सी. से इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर मिलान करने के बाद उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें।

न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि कार्यालय द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् ही इस आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को वाहन अवमुक्त किये जाने हेतु प्रेषित हो।

S/O- अलीनगर
ऑफिस का अनुपासन
कात्वा सुपिश्चित
करे

BCC

Dinesh Kumar

22/7/24

(दीनक कुमार मिश्र)
22-7-24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।

ID NO-UP02054

हिमेश कुमार
उपनिर्देशक
आदेश

